



अनुस्मारक-1

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

अधिसूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रमों का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस) का विवरण अंकित करते हुए मास्टर डाटा एक सप्ताह के भीतर लॉक करना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रमों का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस) का विवरण अंकित करते हुए मास्टर डाटा लॉक होने के उपरान्त एक सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा, जो विश्वविद्यालय में दिनांक-20.09.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था, जो अद्यत्न अप्राप्त है, छात्रवृत्ति पोर्टल पर कोर्स एवं फीस से सम्बन्धित स्वतः जारी सर्टिफिकेट, AISHE सर्टिफिकेट तथा प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य (सम्बन्धित प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदन) की प्रति जिसके द्वारा मास्टर डाटा लॉक किया गया हो, की हार्डकापी तथा साथ ही यह भी अवगत करना है कि अगर किसी महाविद्यालय द्वारा लॉक की गयी सीटों के सापेक्ष ई0डब्लू0एस0 के अर्न्तगत 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो महाविद्यालय को ई0डब्लू0एस0 के अर्न्तगत 10 प्रतिशत सीट वृद्धि करने पर वृद्धि सम्बन्धी प्रपत्र, दिनांक-18.10.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे आपके महाविद्यालय में संचालित (पाठ्यक्रमों का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस) का प्रमाणिकरण करते हुए मास्टर डाटा लॉक किया जा सके। अन्यथा कि दशा में समस्त उत्तरदायित्व आपके महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।

2/10

पत्रांक: 1433 /सूचना/2025

दिनांक- 10/10 /2025

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।